हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
है तथा नियमन की कार्यवाही विधिवत समिति के समक्ष की जानी होती है न कि न्यायालय द्वारा अतः पत्रावली इसी स्तर पर फैसल शुमार की जाकर नियमन शाखा को प्रेषित की जाती है सहायक कलक्टर (SDO), नागौर	

इनिशियल्स जज

पक्षकार/पक्षकारान उप

14.11.25 पीठासीन अधिकारी के/समिति/पक्षकार/पक्ष पक्षकार/दुनाद कार्य/कार्य स्थगन/अवकाश पर गये हुए है, लिहाजा यह प्रकरण उनके दिनांक 17.11.25 को पेश हो।

जज/पेश

17/11/25 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार 5/12/25 को पेश हो।

5/12/25 पक्षकार/पक्षकारान उप वकुलाय कार्य स्थगित
पीठासीन अधिकारी के/समिति/पक्षकार/पक्ष पक्षकार/दुनाद कार्य/कार्य स्थगन/अवकाश पर गये हुए है, लिहाजा यह प्रकरण उनके दिनांक 12/12/25 को पेश हो।

महायक कलक्टर (SDO), नागौर

पक्षकार/पक्षकारान उप

वकुलाय कार्य स्थगित

12.12.25 पीठासीन अधिकारी के/समिति/पक्षकार/पक्ष पक्षकार/दुनाद कार्य/कार्य स्थगन/अवकाश पर गये हुए है, लिहाजा यह प्रकरण उनके दिनांक 02.01.26 को पेश हो।

जज/पेश

02/1/26 पत्रावली पेश। वकुलाय उप०/पक्षकार का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि पत्रावली राजस्व न्यायालय, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) के क्षेत्राधिकार की न होकर प्रशासनिक रूप से उपखण्ड अधिकारी के क्षेत्राधिकार की पाई जाती है जो नियमन से संबंधित

P.T.O